अजय भट्ट
संसद सदस्य (लोक सभा)
नैनीताल-ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)
रक्षा समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परामर्शदात्री समिति, प्राक्कलन समिति

Ajay Bhatt
Member of Parliament
Nainital-Udhamsingh Nagar (Uttarakhand)
Member-Defence, Subordinate Legislation Committee,
Health and Family Welfare, Advisory Committee, Estimate Committee

सत्यमेव जयते

दिल्ली निवास : 301, कावेरी अपार्टमेन्ट
डॉ. बिशम्भर दास मार्ग, नई दिल्ली 110001
टेलीफैक्स : 011-23311488, 23311487
मो॰ : 9456390891, 9412092296
ईमेल : ajbhat3@gmail.com

हल्द्वानी निवास : मुखानी रोड, खाटू श्याम मन्दिर,
तल्ली बमौरी, निकट भा.ज.पा. कार्यालय,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

/2021

दिनांक 22/03/2021

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तराखण्ड सरकार।

विषय :–जमरानी बाँध के डूब से प्रभावित काश्तकारों की समस्याओं का निराकरण एवं पुनर्वास विषयक अनुरोध पत्र–

कृपया समस्त स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं जमरानी बाँध के डूब से प्रभावित परिवारों के संलग्न हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन करना चाहे।

जिसमें इन्होंने जमरानी बाँध से प्रभावित परिवारों की 12 सूत्रीय माँग का अविलम्ब निराकरण करने के साथ–साथ जमरानी बाँध से प्रभावित परिवारों को खुरपिया फार्म, प्रयाग फार्म एवं दानीबंगर गौलापार में पुनर्वास किये जाने एवं डूब क्षेत्र के काश्तकारों को वर्ष 2020–21 के अनुसार लाभान्वित किये जाने का अनुरोध किया है, जो जनहित में आवश्यक एवं उचित भी है।

अतः मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि जमरानी बाँध के डूब से प्रभावित काश्तकारों की समस्याओं का अविलम्ब निराकरण एवं पुनर्वास की समस्या का समाधान किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे।

संलग्न :– यथोक्त।

(अजय भट्ट)

अजय भट्ट
सांसद
नैनीताल-ऊधमसिंहनगर क्षेत्र

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

(एस० ए० मुरुगेशन)
सचिव,
सिंचाई एवं लघु सिंचाई,
आपदा प्रबन्धन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन

(शर्मा)
संयुक्त सचिव
सिंचाई विभाग
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

मा0 सांसद महोदय,
लोकसभा क्षेत्र – नैनीताल,
भारत सरकार, दिल्ली।

विषय :– <u>जमरानी बांध से डूब एवं प्रभाहित क्षेत्र के काश्तकारों के समस्याओं एवं पुर्नवास के सम्बन्ध में।</u>

मा0 महोदय,

सविनय निवेदन है कि डूब एवं प्रभाहित क्षेत्रों के लोगों द्वारा सरकार से 12 सूत्रीय मांग की गयी है, जिसमेंअभी तक स्पष्ट नहीं किया गया तथा पुर्नवास के लिए खुरपिया फार्म एवं प्रयाग फार्म ब दानीबंगर गौलापार की मांग की गयी है तथा विभाग अत्यन्त्र जगह ध्यान भटकानें का काम कर रही है, जिससे काश्तकारों में बड़ा आक्रोश है। सरकार द्वारा पुनर्वास नीति स्पष्ट की जाये तथा डूब एवं प्रभाहित क्षेत्र के लोगों को विश्वास में लेकर ही आगे की प्रक्रिया बढ़ायी जाये तथा काश्तकारों की असमंजस्य की स्थिति साफ की जाये, जिससे डूब क्षेत्र के काश्तकारों का मानसिक उत्पीड़न न हो। महोदय काश्तकारों के द्वारा पूर्व में 12 सूत्रीय मांगों को गम्भीरता से रखा गया है, लेकिन सरकार द्वारा डूब क्षेत्र एवं प्रभाहित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को अनदेखा करा जा रहा है। महोदय सरकार द्वारा डूब क्षेत्र में सरकार की योजनाऐं भी रोक दी गयी है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महोदय लारा एक्ट 2013 में बना है, जबकि जमरानी बाँध 2020–21 में बन रहा है। डूब क्षेत्र के काश्तकारों को 2020–21 के हिसाब से लाभ दिये जायें।

महोदय से सनुरोध निवेदन करते हैं कि यथाशीघ्र डूब एवं प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान करने की कृपा कीजिएगा।

<u>डूब क्षेत्र एवं प्रभाहित क्षेत्र के लोगों की मुख्य मांगे निम्न प्रकार है</u> –

1. प्रत्येक परिवार को एक 5 एकड़ जमीन देय हो।
2. प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को जमरानी बांध में स्थाई नौकरी दी जाये।
3. मकान की कीमत सी0डब्लू0डी0 2021 के हिसाब से देय हो।
4. हैड़ाखान आश्रम को वन [illegible] ~~पंचायत चुफुड़िया~~ में विस्थापन किया जाये।
5. दिव्यांग, विधवा, परित्यागता को अलग से लाभ दिये जायें।

क्रमशः.....2